



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 1555 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 24 / 06 / 2016

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 के अनुमोदनानुसार स्लेटिनम कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, आर्शीवाद टावर, जी.ई. रोड, रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय (नवीन विषय) एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता संशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	नवीन विषय P.G.D.C.A.	20	2016-17

शर्त :-

- विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.04.2016, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 18.05.2016 के निर्णय एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.06.2016 में हुए अनुमोदनानुसार महाविद्यालय को शासन के पत्र क्रमांक एफ 17-32 / 2014 / 38-2 दिनांक जनवरी, 2014 के द्वारा P.G.D.C.A. (20 seat) नवीन विषय की संशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 - प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डॉनेशन न लिया जाये।
 - शिक्षकों / कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 - समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 - निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 - परिनियम 28 के तहत न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह में अथवा सत्र 2016-17 प्रारंभ होने के पूर्व नियुक्ति/पूर्ण करें।
 - जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
 - शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,
उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 1556 / अका. / सम्बद्धता / 2016

रायपुर, दिनांक : 24 / 06 / 2016

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास, अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट में सूचनार्थ Up-Load करें,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

The inspection team visited the Platinum College of Professional Studies on 21.03.2016 at 3:00 pm. The committee made following observations:

1. The approach & entrance for college is narrow and inconvenient as the college is in business premises at third floor.
2. The college has sufficient well equipped Class rooms with LCD projectors and sufficient furniture to run PGDCA course with 20 seats. Books on
3. The Library has sufficient books but new editions of Computer Science and Applications books be immediately procured.
4. The space for Library is insufficient and there is no Ready Journals. (National & International) & magazines in Computer should be subscribed.

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण

(Prof. Sahijy Tiwari)

Jam

(Dr. Sameer Thakur)

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

विषय विशेषज्ञ /विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

दिनांक _____

7. Sufficient Desktop Computers but Licenses should be renewed.

5. The permission for change of place of college was granted by E.C for one year.

प्रति,

कुलसचिव,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

5. The college building is on rent and rent agreement is Patented annually.

6. The college has appointed three Faculty members for teaching and two supporting staff for laboratory. Two of these faculty members are appointed by University under Statute 28.

One such appointment of Mr. Ravi Pandey as Assistant Professor (Computer) was conditional to acquire M.E/M.Tech. degree mandatorily within five years of appointment which is not fulfilled till now.